अध्याय - I

अध्याय-I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 राज्य सरकार की कंपनियां या सांविधिक निगम जो राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) हैं जिनकी स्थापना जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वाणिज्यक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए किया गया है। 31 मार्च 2015 को झारखण्ड राज्य में 18 असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां[1] (सभी कार्यरत) और कोई सांविधिक निगम नहीं थे। वर्ष 2014-15 के दौरान एक सा.क्षे.उ. (झारखण्ड शहरी संरचना विकास कंपनी लिमिटेड) पंजीकृत हुई जबकि कोई भी बंद नहीं हुई।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी), पूर्ववत सांविधिक निगम, का चार सरकारी कंपनियो में नामतः (i) झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) (ii) झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) (iii) झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) और (iv) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) पुनः संगठित (जनवरी 2014) किया गया। जेएसईबी, पूर्ववत सांविधिक निगम, ने वर्ष 2014-15 के दौरान अपना वर्ष 2013-14 (05.01.2014 तक) के लेखों को अंतिमीकृत किया।

सितम्बर 2015 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य सा.क्षे.उ. ने ₹ 3205.87 करोड़ का आवर्त पंजीबद्ध किया तथा ₹ 4486.93 करोड़ की हानि वहन की। इसमें पूर्ववत जेएसईबी के वर्ष 2013-14 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 2128.70 करोड़ आवर्त और हानि ₹ 3950.07 करोड़ शामिल हैं। वर्ष 2014-15 में राज्य सा.क्षे.उ. का आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.62 प्रतिशत के बराबर था। मार्च 2015 के अंत तक इन सा.क्षे.उ. ने 7023 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

ज़वाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के अनुसार अधिशासित होती है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त अंशपूँजी में केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकार या आंशिक रूप से

---

[1] (i) झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी) (ii) झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) (iii) झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको) (iv) झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) (v) ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (जीआरडीए) (vi) झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट) (vii) झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) (viii) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) (ix) कर्णपूरा ऊर्जा लिमिटेड (केईएल) (x) झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जेटीडीसी) (xi) झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) (xii) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेएसएफसीएससीएल) (xiii) झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमएफडीसी) (xiv) झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) (xv) झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) (xvi) झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) और (xvii) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) (xvii) झारखंड शहरी संरचना विकास कंपनी लिमिटेड।

केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार और एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को सम्मिलित करते हुये ऐसी कंपनी का अंश 51 प्रतिशत से कम न हो।

इसके अतिरिक्त, सीएजी यदि आवश्यक समझे तो, ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) एवं (7) के अन्तर्गत आती है, को धारा 143 की उपधारा (7) के अनुसार या किसी आदेश के अनुसार इन कम्पनियों के लेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा कर सकते है तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान भी ऐसी नमूना जाँच प्रतिवेदन पर लागू होगें। 31 मार्च 2014 को या उसके पूर्व के वित्तीय वर्षों के संबंध में कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है। वे अधिनियम की घारा 143(5) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हुये, अन्य बातों में से, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेगें। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सीएजी द्वारा संपादित की जाती है।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी), पूर्ववत सांविधिक निगम, की लेखापरीक्षा इनके चार कंपनियों में पुनः संगठित होने तक (जनवरी 2014) विद्युत अधिनियम, 2003 से शासित थी एवं सीएजी एकल लेखापरीक्षक थे।

सरकार एवं विधायका की भूमिका

1.4 राज्य सरकार इन सा.क्षे.उ. के कार्यकलाप पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। बोर्ड के लिए मुख्य कार्यकारी तथा निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका भी सा.क्षे.उ. के लेखांकन तथा सरकारी निवेश की उपयोगिता का अनुश्रवण करती है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 या संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की कम्पनियाँ, अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों तथा सांविधिक निगम के संदर्भ में, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के अधीन सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

झारखण्ड सरकार का अंश

1.5 इन सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार का वित्तीय अंश मुख्यत: तीन प्रकार के है:

- **अंशपूँजी एवं ऋण** - अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय समय पर ऋण देकर सा.क्षे.उ. को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

- **विशेष वित्तीय सहायता -** राज्य सरकार सा.क्षे.उ. को आवश्यकता के अनुसार बजटीय सहायता अनुदान एवं उपदान के रुप में देती है।
- **प्रत्याभूति -** राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों द्वारा सा.क्षे.उ. को प्रदान किये गये ब्याज सहित ऋण की अदायगी के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है।

राज्य के सा.क्षे.उ में निवेश

1.6 31 मार्च 2015 को, 18 सा.क्षे.उ. में ₹ 1784.33 करोड़ निवेश (अंशपूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था जैसा कि **तालिका - 1.1** में नीचे दर्शाया गया हैं।

तालिका 1.1: सा.क्षे.उ. मे कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. के प्रकार	सरकारी कंपनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
	अंश पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	अंशपूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
कार्यरत सा.क्षे.उ	202.00	1582.33	1784.33	-	-	-	1784.33
अकार्यरत सा.क्षे.उ.	-	-	-	-	-	-	-
कुल	202.00	1582.33	1784.33				1784.33

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

इस कुल निवेश में 11.32 प्रतिशत पूँजी तथा 88.68 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण शामिल था। निवेश में 65.65 प्रतिशत की कमी हुई जो 2010-11 में ₹ 5195.28 करोड़ से घटकर 2014-15 में ₹ 1784.33 करोड़ (जैसा कि **रेखाचित्र-1.1** में दिखाया गया हैं) मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के घटने के कारण हो गया जैसा कि कंडिका 1.7 में विवेचित हैं।

रेखाचित्र 1.1: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश

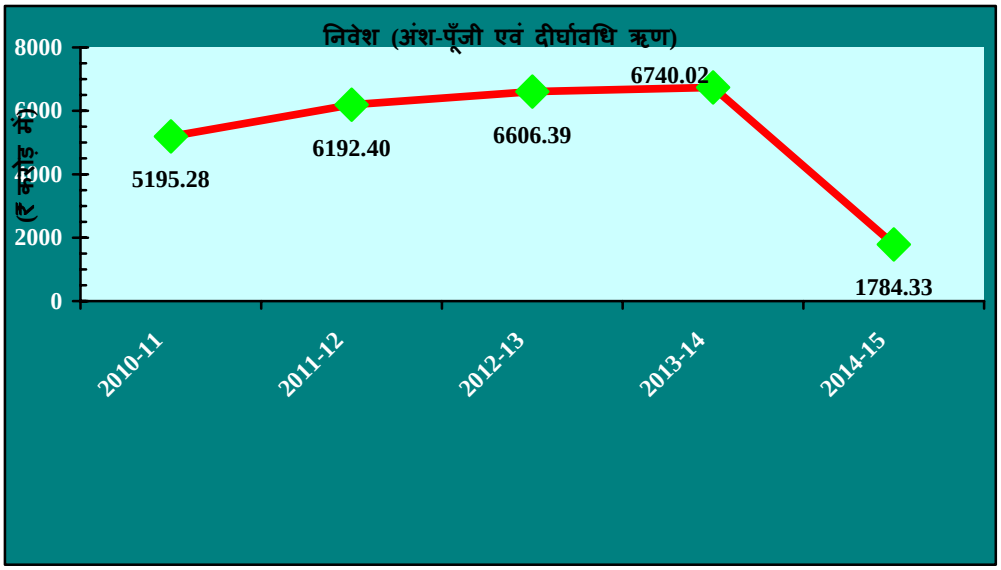

1.7 31 मार्च 2015 को राज्य के सा.क्षे.उ. में निवेश का क्षेत्रवार सारांश **तालिका-1.2** में दिया गया हैं।

तालिका 1.2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनियाँ		सांविधिक निगम	कुल निवेश (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	
ऊर्जा	1683.43	-	-	1683.43
विनिर्माण	15.60	-	-	15.60
कृषि एवं संबद्ध	13.80	-	-	13.80
सेवा	10.50	-	-	10.50
आधारभूत संरचना	61.00	-	-	61.00
कुल	**1784.33**	**-**	**-**	**1784.33**

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

31 मार्च 2011 एवं 31 मार्च 2015 को समाप्ति पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उनका प्रतिशत **रेखाचित्र-1.2** में दर्शाया गया हैं।

रेखाचित्र 1.2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

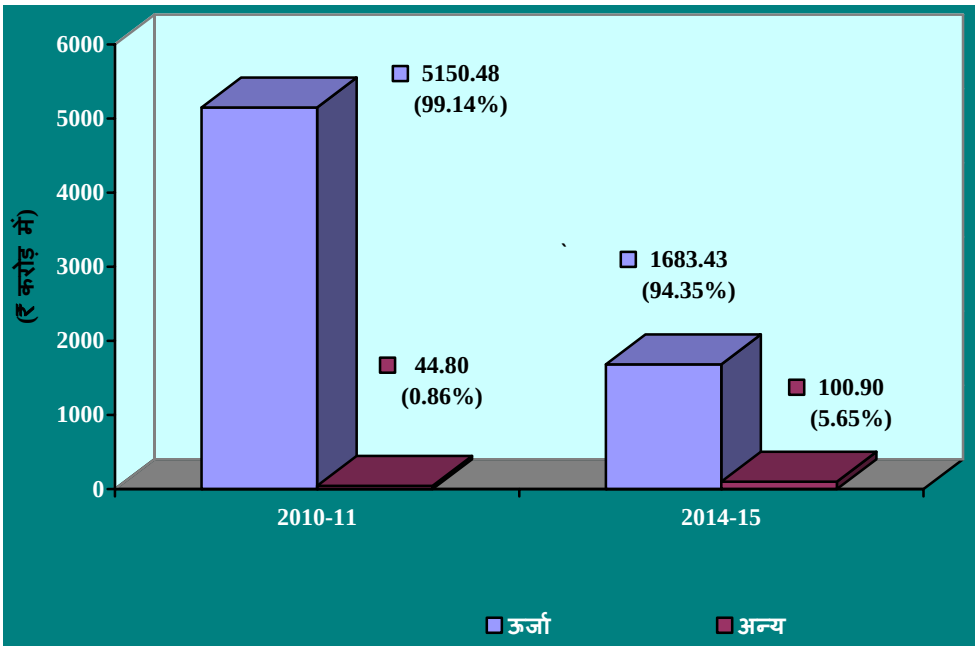

सा.क्षे.उ. में निवेश मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र में था यद्यपि जो 2010-11 से 2014-15 के दौरान 99.14 प्रतिशत से घटकर 94.35 प्रतिशत हो गया। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 2010-11 में ₹ 5150.48 करोड़ था जो 2014-15 में घटकर ₹ 1683.43 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण पूर्ववत जेएसईबी के संपत्तियो और दायित्वों का हस्तांतरण झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार हस्तांतरण योजना, 2013 के अनुसार इसके उत्तरधिकारी कंपनियो को नहीं किया गया था और जिसे राज्य सरकार की अवशिष्ट परिसंपत्तियों और देनदारियों का हिस्सा बनाया गया।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रत्याय

1.8 राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में सा.क्षे.उ. को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। वर्ष 2014-15 को समाप्त हुये तीन वर्षों का अंशपूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का सारांशीकृत ब्यौरा **तालिका - 1.3** में दिया गया है:

तालिका 1.3: सा.क्षे.उ. को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या[2]	राशि
1.	बजट से अंशपूँजी जावक	3	15.00	4	20.65	5	9.25
2.	बजट से दिये गये ऋण	2	561.70	1	175.34	3	782.54
3.	अनुदान/सहाय्य प्राप्ति	3	1187.67	2	972.80	2	2112.00
4.	**कुल जावक (1+2+3)**		**1764.37**		**1168.79**		**2903.79**

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

पिछले पाँच वर्षों के अंशपूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा **रेखाचित्र-1.3** में दर्शाये गये हैं:

रेखाचित्र 1.3: अंशपूँजी, ऋण एवं अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक

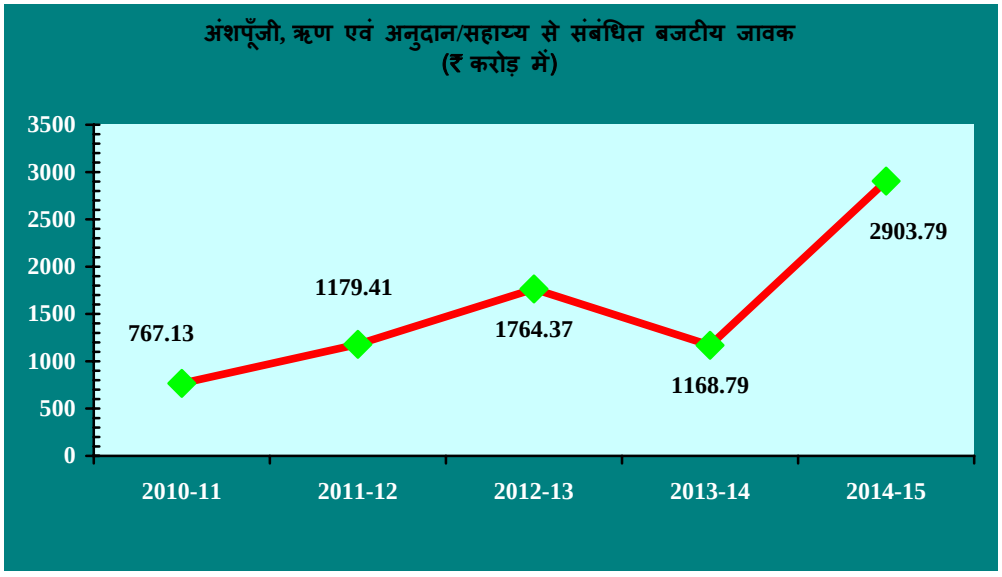

बजटीय जावक वर्ष 2013-14 में ₹ 1168.79 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 2903.79 करोड़ हो गया जो वर्ष के दौरान मुख्यत: झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को दिये गये ऋण (₹ 99.56 करोड़) तथा अनुदान एवं सहाय्य (₹ 2106.63 करोड़) तथा झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को दिये गये ऋण (₹ 679.48 करोड़) के कारण हुआ।

[2] सात सा.क्षे.उ. (जीआरडीए, जीडको, जेटीडीसी, झालको, जेयुआईडीसीओ, जेयुएसएनएल, और जेबीवीएनएल) का कुल जावक।

वित्त लेखों से समाधान

1.9 राज्य के सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार बकाया अंशपूँजी एवं ऋण से संबंधित ऑकड़े राज्य के वित्त लेखों में अंकित ऑकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग द्वारा अंतर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2015 तक की स्थिति **तालिका - 1.4** में दी गई है:

तालिका 1.4: वित्त लेखों और सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार अंशपूँजी और ऋण

(₹ करोड़ में)

संबंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
अंशपूँजी	57.80	201.95	144.15
ऋण	8075.40	4599.74	3475.66

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

हमने अवलोकित किया कि दस[3] सा.क्षे.उ. के ऑकड़ों में अंतर था और इन अंतरों का समाधान 2001-02 से लम्बित था। महालेखाकार ने इस मामले को झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव तथा सा.क्षे.उ. को जांच के उपरांत भिन्नताओं के समाधान हेतु प्रतिवेदित (अद्यतन अगस्त 2015 में) किया था लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई। सरकार और सा.क्षे.उ. को भिन्नताओं के समाधान के लिए ठोस कदम समयबद्ध तरीके से करना चाहिए।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.10 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरण को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 (1) के प्रावधानों के अनुसार सितंबर माह के अंत तक अर्थात संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: माह के अंदर अंतिमीकृत किया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता, अधिनियम की धारा 99 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं। इसी तरह, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी), पूर्ववत सांविधिक निगम, के लेखों का अंतिमीकरण, लेखापरीक्षा तथा विधायिका में प्रस्तुति विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार होता था।

नीचे तालिका-1.5 30 सितम्बर 2015 को कार्यरत सा.क्षे.उ. के द्वारा किए गए लेखों के अंतिमीकरण के प्रगति के विवरण को दर्शाता है:

[3] जीआरडीए, झारक्राफ्ट, झालको, जेएसबीसीएल, जेएसईबी, जेएसएफएससीएल, जेएसएमएफडीसी, जेयुवीएनएल, जेयुआईडीसीओ और टीवीएनएल।

तालिका 1.5: कार्यरत सा.क्षे.उ. के लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	12	13	14	18	18
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	12	8	20	14	10
3.	बकाया लेखों की संख्या	46	52	45	45	57[4]
4.	बकाया लेखों वाले सा.क्षे.उ की संख्या	12	13	14	14	18
5.	बकाया लेखों की अवधि (संख्या वर्षों में)	1 to 17	1 to 16	1 to 13	1 to 9	1 to 9

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

यह अवलोकित किया जा सकता हैं कि पिछले वर्षों के दौरान 2010-11 में बारह सा.क्षे.उ. के संदर्भ में बकाये लेखों की संख्या 46 से बढ़कर 2014-15 में 18 सा.क्षे.उ. के संदर्भ में 57 हो गयी थी। 30 सितंबर 2014 को बकाये 45 लेखों में से मात्र दस लेखों को चालू वर्ष में अंतिमीकृत किया गया था। 30 सितंबर 2015 तक कोई सा.क्षे.उ. ने वर्ष 2014-15 के लेखें अंतिमीकृत नहीं किया था।

प्रशासनिक विभागों पर इन इकाईयों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है तथा यह भी सुनिश्चित करना कि ये सा.क्षे.उ. अपने लेखों का अंतिमिकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट सीमा के अंदर करते हैं। 2010-11 से 2014-15 के दौरान संबंधित प्रशासनिक विभागों को नियमित सूचना दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग को बकाया लेखों के समापन हेतु अवगत (अगस्त 2015) कराया गया था। यद्यपि, कोई सुधार नहीं देखी गयी।

1.11 राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान सात सा.क्षे.उ. में ₹ 4068.29 करोड़ **(**अंशपूँजी**:** ₹ 30.40 करोड़**,** ऋण**:** ₹ 908.48 करोड़**,** अनुदान**:** ₹ 3129.41 करोड़**)** का निवेश किया जिनके लेखें अंतिमीकृत नहीं किये गये है, जैसा **परिशिष्ठ-1.1** में वर्णित हैं। लेखों के अंतिमिकरण और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में**,** यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय का लेखांकन उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, इन सा.क्षे.उ. में सरकार का निवेश विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुती

1.12 सांविधिक निगम के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गत (सितम्बर 2015 तक) पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति निम्न **तालिका-1.6** में वर्णित हैं।

[4] ऊर्जा कम्पनियों यथा जेयुवीएनएल, जेयुयुएनएल, जेयुएसएनएल और जेबीवीएनएल जो 16 सितंबर 2013 को निगमित हुए, के चार बकाया लेखें (2013-14) सहित।

तालिका 1.6: विधायिका में प्रस्तुत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प्र.) की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृ.ले.प्र. विधायिका में प्रस्तुत किया गया	जिस वर्ष से पृ.ले.प्र. विधायिका के समक्ष उपस्थापित नहीं की गयी		
			पृ.ले.प्र.का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	वर्तमान स्थिति
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	-	2001-02	20.08.2010	पृ.ले.प्र. को उपस्थापित करने की अद्यतन स्थिति सरकार द्वारा नही बताया गया।
			2002-03	07.02.2011	
			2003-04	07.03.2011	
			2004-05	07.06.2011	
			2005-06	09.11.2011	
			2006-07	15.12.2011	
			2007-08	31.01.2012	
			2008-09	30.03.2012	
			2009-10	30.03.2012	
			2010-11	26.04.2012	
			2011-12	22.05.2013	
			2012-13	26.08.2014	

लेखा के अंतिमीकरण ना करने का प्रभाव

1.13 जैसा कि ऊपर इंगित किया गया हैं (कंडिका 1.10 से 1.11), लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से प्रासांगिक प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा लोकनिधि की धोखाधड़ी का पता ना लगने एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती हैं। उपरोक्त लंबित लेखों की दशा के आलोक में वर्ष 2014-15 में राज्य की जीडीपी में सा.क्षे.उ. का वास्तविक योगदान का आंकलन नहीं किया जा सकता था तथा यह राज्य की विधायिका को भी प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

अत: यह अनुशंसा की जाती हैं कि:

- सरकार को बकाया के निराकरण के निरीक्षण हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन और प्रत्येक कंपनी के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए जिसका पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाए।

- जहाँ स्टाफ अप्रर्याप्त या अयोग्य हैं वहाँ सरकार को लेखे तैयार करने के कार्य के लिए बाह्य स्रोत पर विचार करना चाहिए।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार सा.क्षे.उ. के निष्पादन

1.14 सा.क्षे.उ. की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण **परिशिष्ठ-1.2** में वर्णित हैं। सा.क्षे.उ. के आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात राज्य की अर्थव्यस्था में सा.क्षे.उ. के सक्रियता की सीमा को दर्शाता हैं। वर्ष 2014-15 में समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में सा.क्षे.उ. का आवर्त और राज्य के जीडीपी का विस्तृत विवरण नीचे **तालिका-1.7** में दिये गये हैं।

तालिका 1.7: सा.क्षे.उ का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आवर्त[5]	1442.90	2139.72	2563.86	3065.85	3205.87
राज्य का सकल घरेलु उत्पाद[6]	127281.05	135617.43	151654.70	172772.61	197514.31
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से आवर्त का प्रतिशत	1.13	1.58	1.69	1.77	1.62

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से सा.क्षे.उ. का आवर्त का प्रतिशत वर्ष 2013-14 में 1.77 से घटकर वर्ष 2014-15 में 1.62 हो गया, साथ ही 2010-11 के तुलना में चालू वर्ष के दौरान अनुपात में वृद्धि हुई।

1.15 वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य के सा.क्षे.उ. द्वारा वहन की गई कुल हानि **रेखाचित्र-1.4** में दी गई हैं।

रेखाचित्र 1.4: राज्य सा.क्षे.उ. के हानि

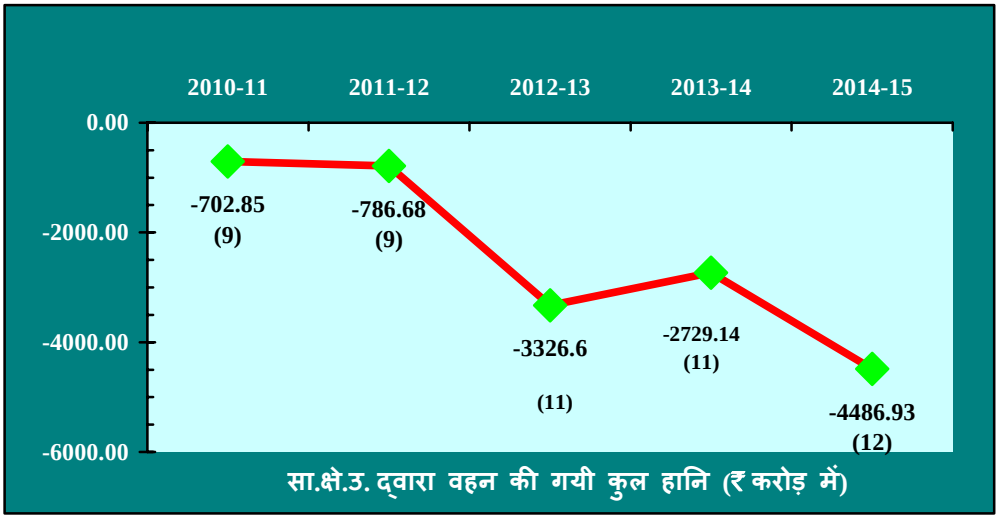

(कोष्टक के ऑकडे संबंधित वर्षों में सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते है)

वर्ष 2014-15 के दौरान, अद्यतन अंतिमिकृत लेखों के अनुसार छः सा.क्षे.उ. ने ₹ 32.01 करोड़ का लाभ और छः सा.क्षे.उ. (जेएसईबी सहित) ₹ 4518.94 करोड़ की हानि वहन की। शेष सात[7] सा.क्षे.उ. ने अपना पहला लेखा भी अंतिमिकृत नहीं किए। लाभ के मुख्य योगदानकर्ताओं में झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम (₹ 13.09 करोड़), झारखण्ड राज्य वन विकास निगम (₹ 7.56 करोड़), झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (₹ 3.90 करोड़) और ग्रेटर राँची विकास एजेंसी (₹ 3.57 करोड़) थे। 2013-14 और 2007-08 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्रमशः जेएसईबी (₹ 3950.07 करोड़) एवं तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 556.59 करोड़) द्वारा भारी हानि वहन की गई।

---

[5] 30 सितंबर 2015 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखें के अनुसार आवर्त, इसमे जेएसईबी का आवर्त भी शामिल है।

[6] राज्य जीडीपी के आँकड़े जून 2015 के वर्तमान मूल्यों (नई श्रृखंला) पर लिए गए।

[7] केईएल, जेयुवीएनएल, जेयुयुएनएल, जेयुएसएनएल, जेबीवीएनएल, जेएसएफसीएससीएल, जेयुआईडीसीओ।

1.16 सा.क्षे.उ. से संबंधित कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड **तालिका-1.8** में दिये गये हैं।

तालिका 1.8: राज्य के सा.क्षे.उ के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय	-	-	-	-	-
ऋण	5050.68	6022.30	6435.29	6540.97	7736.75
आवर्त	1442.90	2139.72	2563.86	3065.85	3205.87
ऋण/आवर्त अनुपात	3.5:1	2.81:1	2.51:1	2.13:1	2.41:1
ब्याज भुगतान	194.75	477.72	600.02	875.62	812.61
संचित हानि	(-) 1646.52	(-) 6385.11	(-) 9437.93	(-) 12298.80	(-) 16755.73

(उपर्युक्त आँकड़े 30 सितंबर 2015 तक राज्य सा.क्षे.उ. के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों से संबंधित थे जिसमें ऋण को छोड़कर जो 31 मार्च 2015 के ऑकड़े थे)

2010-11 से 2014-15 के दौरान, सा.क्षे.उ. द्वारा हानि वहन करने के कारण नियोजित पूँजी पर कोई प्रत्याय नहीं था। इसके अलावा, ऋण 2010-11 में ₹ 5050.68 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 7736.75 करोड़ मुख्यत: राज्य ऊर्जा कंपनियो के ऋण स्वीकृत करने के कारण हुआ। संचित हानि 2010-11 में ₹ 1646.52 करोड़ से लगातार बढ़कर 2014-15 में ₹ 16755.73 करोड़ हो गया। यह सा.क्षे.उ. के खराब संचालनीय प्रदर्शन को इंगित करता हैं।

1.17 राज्य सरकार ने अपने द्वारा दी गयी प्रदत्त अंशपूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय देने के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, छ: सा.क्षे.उ. ने ₹ 32.01 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया लेकिन कोई सा.क्षे.उ. ने लाभांश घोषित नहीं किया।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.18 01 अक्टूबर 2014 से 30 सितंबर 2015 के दौरान आठ सरकारी कंपनियों ने अपने नौ लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से, छ: कंपनियों के सात लेखों को पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा लेखों की रखरखाव के गुणवत्ता को दर्शाती हैं जिसे सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य के विस्तृत विवरण जो **तालिका-1.9** में दिए गए हैं, से निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

तालिका 1.9: कार्यरत कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ मे वृद्धि	1	0.01	-	-	-	-
2.	लाभ में कमी	3	5.29	3	0.63	1	2.33
3.	हानि में वृद्धि	1	0.08	2	33.72	1	2.10
4.	हानि में कमी	1	0.36	-	-	3	95.99
5.	महत्वपूर्ण तथ्यो का अप्रकटीकरण	3	-	-	-	5	-

(समेकित मुद्रा मूल्य केवल सीएजी के टिप्पणियों के आधार पर)

लेखों पर टिप्पणियों का मौद्रिक मूल्य 2012-13 में छ: लेखों के संदर्भ में ₹ 5.74 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में पाँच लेखों के संदर्भ में ₹ 100.42 करोड़ हो गयी।

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखों पर दोष-रहित प्रमाण पत्र एवं छ: लेखों पर दोषपूर्ण प्रमाण पत्र दिये। लेखा मानकों के अनुपालन संतोषजनक नहीं थे जैसे कि वर्ष के दौरान दो लेखों में गैर-अनुपालन के दो उदाहरण थे।

1.19 इसी प्रकार, वर्ष 2014-15 के दौरान झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी), पूर्ववत सांविधिक निगम[8] ने वर्ष 2013-14 (05.01.2014 तक) का लेखा महालेखाकार को प्रेषित किया। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि लेखों के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहत सुधार की जरूरत है। सीएजी की टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य का विस्तृत विवरण **तालिका -1.10** में दिए गए हैं।

तालिका 1.10: सांविधिक निगम (जेएसईबी) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

(₹ क़रोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	5.58	1	1.02	1	8.63
2.	हानि मे वृद्धि	1	31.80	1	572.68	1	163.10
3.	महत्वपूर्ण तथ्यो का अप्रकटीकरण	-	-	-	-	-	-
4.	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	-	-	-	-	-	-
कुल		**1**		**1**		**1**	

(समेकित मुद्रा मूल्य केवल सीएजी के टिप्पणियों के आधार पर)

[8] झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का चार सरकारी कंपनियों मे पुन: संगठित (06 जनवरी 2014) किया गया था।

लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ

1.20 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु तीन विभागों से संबन्धित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा एवं पाँच कंडिकाएँ संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह के अंदर उत्तर उपलब्ध करने के साथ जारी किया गया था। यद्यपि, राज्य सरकार से एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक सूचना प्रधौगिकी लेखापरीक्षा एवं दो कंडिकाओं के उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

उत्तर अप्राप्त

1.21 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की चरम स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः यह जरूरी हैं कि वे अधिशासी से उचित एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करे। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के सीएजी के प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर/ व्याख्तमक टिप्पणियाँ इसके विधायिका में प्रस्तुति के तीन माह के अंदर बिना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) के प्रश्नावली के इंतज़ार किए प्रस्तुत करने का निर्देश निर्गत (नवम्बर 2015) किया। 30 सितम्बर 2015 तक अप्राप्त उत्तर/व्याख्तमक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका - 1.11** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.11: 30 सितम्बर 2015 को अप्राप्त व्याख्तमक टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का वर्ष (वाणिज्यिक /सा.क्षे.उ)	राज्य विधायिका मे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ (पीएस) एवं कंडिकाएँ		कुल पीएस/कंडिकाएँ ज़िनपर व्याख्यात्मक टिप्पिणयाँ प्राप्त नहीं हुई	
		पीएस	कंडिकाएँ	पीएस	कंडिकाएँ
2005-06	04.04.2007	1	3	-	1
2007-08	10.07.2009*	1	8	1	7
2008-09	13.08.2010	1	4	1	4
2009-10	29.08.2011	1	6	1	6
2010-11	06.09.2012	1	3	-	3
2011-12	27.07.2013	1	5	1	5
2012-13	05.03.2014	1	5	1	5
2013-14	26.03.2015	1	6	1	6
कुल		**8**	**40**	**6**	**37**

*** संसद मे उपस्थापित**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि छ: विभागों से संबंधित 48 कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, जिनपर टिप्पणियाँ की गई थी, में से 43 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अप्राप्त (सितम्बर 2015) थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.22 30 सितम्बर 2015 को निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में शामिल थे और जिसका सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गई, **तालिका-1.12** में दी गई है।

तालिका 1.12: 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे शामिल की गयी निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं पर की गयी चर्चा का विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं(पीए)/कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		कंडिकाएँ जिस पर चर्चा हुई	
	पीए	कंडिकाएँ	पीए	कंडिकाएँ
2004-05	2	1	2	1
2005-06	1	3	1	-
2006-07	1	6	-	1
2007-08	1	8	-	1
2010-11	1	3	1	-
कुल	**6**	**21**	**4**	**3**

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.23 अगस्त 2006 से अगस्त 2014 के दौरान राज्य विधायिका के समक्ष उपस्थापित नौ कोपू प्रतिवेदन से संबंधित 17 कंडिकाओं/उप-कंडिकाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन) प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर 2015) थे जैसा कि **तालिका-1.13** में वर्णित हैं।

तालिका 1.13: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की कुल संख्या जिनके लिये कार्रवाई टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुए
2007-08	2	2	2
2008-09	1	1	1
2012-13	3	7	7
2013-14	3	7	7
कुल	**9**	**17**	**17**

कोपू के इन प्रतिवेदनों में एक विभाग से संबंधित कंडिकाओं के बारे में अनुशंसायें थी, जो 2002-03 से 2005-06 के वर्षों में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल थी।

यह अनुशंसा की जाती हैं कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि: (अ) निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ के उत्तर/ निर्धारित समय सीमा में भेजे जाये; (ब) हानि/लंबित अग्रिमों/ अधिक भुगतान की वसूली निर्धारित समय सीमा में की जायें; एवं (स) लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने से संबंधित प्रणाली का सुधार किया जाना चाहिए।

इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

1.24 इस प्रतिवेदन में झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलाप पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में आधारभूत आँकड़ो के संग्रहण की प्रणाली तथा ऊर्जा लेखांकन के एप्लीकेशनों पर एक सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा और पाँच कंडिकाएँ शामिल हैं जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 45.55 करोड़ हैं।